न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

ी संख्या 28/14 तारीख रजू– 27/11/2014

कसाना पत्नी सलीम 2– सलीम पुत्र मुमताज
तियान गददी मुसलमान निवासीयान भारजा गददी तहसील मलारनाडूंगर।

–––प्रार्थीगण

बनाम

रूद पुत्र हुसैन खां जाति गददी मुसलमान निवासीयान भारजा गददी तहसील मलारनाडूंगर।
रपंच ग्राम पंचायत शेषा, पंचायत समिति बौली तहसील मलारनाडूंगर।
न सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत शेषा पंचायत समिति बोली तहसील मलारनाडूंगर।

–––––अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक– 27/08/15**

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत शेषा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा संख्या 04 05/08/10 पटटा विलेख पत्रावली संख्या 02 वर्ष 2010 ग्राम शेषा मे 200/–रू0 पटटा शुल्क 55X 60 फिट यानी 3300 वर्गफुट (366.6 वर्गगज)का जारी किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की है जारी किये उक्त पटटे को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना के उपस्थित होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई व अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि ग्राम ने पटटा मिलीभगत से तैयार किया है। कोई सार्वजनिक नोटिस चस्पा नही किया। नोटिस पर गी फर्जी तैयार की है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि मोका निरीक्षण मे से कब्जे के बारे मे पूछताछ नही की है। मोके पर क्या निर्माण है मोका रिपोर्ट मे कोई विवरण नही ायत ने मिलीभगत से 25–30 साल पुराना कब्जा होना बता दिया। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस भी तर्क दिया कि यदि पटटाधारी का निवास होता तो नल बिजली के कनेक्शन होने चाहिये थे। नीकार का पति स्वभाव से भोला है अतः उसकी पत्नि ने निगरानी पेश की है। विद्वान वकील ण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण मकान पर ताला लगाकर इन्दोर चले गये थे इस पटटाधारी को मकान पर कब्जा करने का मोका मिल गया। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस मे यह र्क दिया कि जब प्रार्थीगण इन्दोर से भारजागददी गांव आये तो उन्हे आवास पर किसी दूसरे का ताला हुआ मिला व प्रार्थीगण ने पटटाधारी के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करवायी थी जिसमे पुलिस ने पटटा होना मानते हुए प्रार्थीगण का मकान मानते हुए पटटाधारी के विरूद्व चालान पेश किया है। अतः ण की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी के पक्ष मे जारी किया गया पटटा निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी ने बहस मे तर्क कि अप्रार्थी को पटटा सही जारी हुआ है। पंचायत ने वार्ड पंचो से मोका दिखाया है। सार्वजनिक र जारी किये है। अन्य गवाहो की साक्ष्य ली है। वर्तमान सरपंच की तस्दीक पेश की है जिससे नीकार का निवास गांव मे ही नही होना साबित है। मकान का फोटो पेश किया है जिससे भी ारी का कब्जा होना साबित है। निगरानीकार की पुलिस एफ.आई.आर के आधार पर चालान पेश जाने से भी पटटाधारी का कब्जा होना साबित है। पटटा क्योकि रजिस्टर्ड हो गया है अतः रजिस्टर्ड ज को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। निगरानी के द्वारा पटटा निरस्त नही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निगरानी संख्या 28/14 रूकसाना/अमरूद वगै0

जा सकता है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज फरमाई जाकर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या क्ष मे जारी किया गया पटटा यथावत रखा जावें।

दोनो विद्वान अभिभाषको की बहस को गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन ग्राम पंचायत द्वारा पटटाधारी का कब्जा 25–30 वर्ष पुराना होना माना है लेकिन कोई दस्तावेजी नल बिजली के बिल या अन्य कोई साक्ष्य पेश नही की है। पुलिस ने एफ.आई.आर. मे जो बयान उनमे गवाहान ने निगरानीकार का मकान होना बताया है। निगरानीकार की झोपडी रही है। कुछ ने अपने बयानो मे निगरानीकार के पति द्वारा पचास हजार रूपये मे अमरूद को मकान व जमीन बताया है। चालीस हजार रूपये दे दिये लेकिन दस हजार रूपये का भुगतान नही किये जाने से होना बताया है। पटटाधारी के अधिवक्ता का यह तर्क कि पटटा रजिस्टर्ड होने से निगरानी के द्वारा निरस्त नही किया जा सकता है यह तर्क उचित नही है। यदि मूल आदेश विधि विपरीत है तो उसके पर की गई समस्त कार्यवाही अवैधानिक होती है। पटटा रजिस्टर्ड हो जाने से निगरानी का आधार नही होता है। निगरानी मे पटटा जारी करने के बारे मे विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। के द्वारा पूछताछ मे जो तथ्य आये है वे विश्वसनीय प्रतीत होते है। पंचायत द्वारा पटटा पत्रावली का ाही विवरण एक दिन मे तैयार किया जाना साबित होता है क्योकि दिनांक 18/05/10, 05/10, 07/06/10, 20/07/10, 05/08/10 की कार्यवाही का विवरण कम्प्यूटर से प्रिन्टेड है। जाहिर है कि सभी दिनो की प्रोसिडिग एक साथ लिखी गई है। इससे पटटा जारी करने का निश्चय ापत्र प्राप्त करने के समय ही लिया जाना जाहिर है। पंचायत द्वारा पटटा जारी करने के लिए प्रकिया ालन उचित रीति से नही किया है। तथ्यो के बारे मे स्वतन्त्र गवाहो से जॉच नही की है। अतः ग्राम त द्वारा जारी पटटा उचित प्रकिया से जारी नही करने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम त शेषा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 04 दिनांक 05/08/10 निरस्त किया है।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

((बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

स्वीकार